राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/ अधिवक्ता का नाम	अपीलार्थीगण द्वारा एस.टी.सी./बी.एड. योग्यता उत्तीर्ण करने की दिनांक
1.	123/2022 प्रदीप कुमार गुप्ता	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल खानजादी, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।	17.01.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता	एस.टी.सी. उत्तीर्ण वर्ष 2005
2.	721/2022 राजेन्द्र कुमार जैन	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, हरसाना, जिला अलवर।	07.03.2022		एस.टी.सी. उत्तीर्ण वर्ष 1997
3.	766/2022 गोपेश शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईन्दपुर, गोविन्दगढ़, जिला अलवर।	08.03.2022		एस.टी.सी. उत्तीर्ण वर्ष 2004
4.	1316/2022 प्रीतम कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खो रामगढ़, अलवर।	18.04.2022		एस.टी.सी. उत्तीर्ण वर्ष 2000
5.	1553/2022 राधा रमन शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर।	09.05.2022		एस.टी.सी. उत्तीर्ण वर्ष 2005

आदेश की दिनांक : 08.05.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 123/2022 प्रदीप कुमार गुप्ता बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी की सेवाओं को प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.09.1993 से गणना करते हुए 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ समस्त एरियर सहित ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 में निर्धारित करते हुए एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाए जाने का आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला परिषद की स्थायी स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव जिला परिषद, अलवर द्वारा राजस्थान मृत कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों के तहत मृतक आश्रित कोटे में चयन प्रक्रिया अपनाकर नियमित पद के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.09.1993 को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण करने के पश्चात् अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 04.09.1995 से स्थायी किया गया तथा अपीलार्थी ने वर्ष 2005 में एस.टी.सी. योग्यता उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 04.09.2003 से गणना करते हुए प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया एवं 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 04.09.2011 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया तथा 27 वर्ष की सेवा दिनांक 04.09.2020 को पूर्ण हुई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2020 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं की गणना एस.टी.सी. उत्तीर्ण की दिनांक 21.04.2005 के आधार पर सेवाओं की गणना करते हुए वेतन वृद्धियां दी एवं वसूली के आदेश पारित किए, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी मृतक आश्रित सेवा

नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति होने के कारण अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण दिनांक 04.09.1993 से ही की जानी चाहिए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने एस.टी.सी. उत्तीर्ण करने की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ देने का आदेश पारित किया। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दिनांक 12.04.2002 को निदेशक को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किए कि जो अध्यापक अप्रशिक्षित नियुक्त किए गए हैं, उनके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता एवं सेवा अनुभव का लाभ देय है। उक्त तथ्यों के बावजूद अपीलार्थी की नियुक्ति नियमों के अनुसार रिक्त पद के विरूद्ध नियमित रूप से नियमित वेतन श्रृंखला में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में की गई थी, जो एक नियमित पद है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 26.04.2001 को यह निर्धारित किया कि प्रत्यर्थी विभाग में सेवा नियमों के अनुसार अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने का प्रावधान होने के कारण तथा अध्यापक की नियमित पदों के विरूद्ध नियुक्ति होने के आधार पर अध्यापक प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण की दिनांक से 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देने का आदेश विधि विरूद्ध है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सही माना है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ न देकर प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया है, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी की सेवाओं को प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.09.1993 से गणना करते हुए 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ समस्त एरियर सहित ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 में निर्धारित करते हुए एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाए जाने का आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि नियम 9 प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि – प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा तथापि आश्रित से तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति

समाप्त होने के दायित्वाधीन होंगी। जब तक ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी और अर्हता अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जाएगी, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं की जाएगी। अपीलार्थीगण के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वह तीन वर्ष के अंदर वांछित योग्यता अर्जित करेगा अन्यथा वह वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने योग्य नहीं होगा। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर हुई थी। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त तालिका में अंकित अनुसार एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में उनकी सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.09.2020 एवं 19.08.2016 उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थीगण नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2020 एवं 19.08.2016 को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाभ

प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 123/2022 प्रदीप कुमार गुप्ता बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)